भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3694
12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: खरीफ फसलों के अंतर्गत कुल सम्मिलित क्षेत्रफल
3694. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः
श्री मनीष जायसवालः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने हाल ही में खरीफ फसलों के अंतर्गत कुल सम्मिलित क्षेत्रफल की प्रगति जारी की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी फसलवार ब्यौरा क्या है;
(ख) खरीफ फसल के अंतर्गत दर्शाए गए कुल क्षेत्रफल में वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत वृद्धि/कमी और फसल उत्पादन में प्रतिशत लाभ/हानि का फसलवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह सच है कि देश के कुछ भागों में किसानों को 40 प्रतिशत कम वर्षा के कारण फसल की हानि उठानी पड़ी है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को सहायता प्रदान करने और उनकी संभावित फसल हानि को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उपाय किए गए कदम उठाए जा रहे हैं। उपाय किए जा रहे हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा देश में खरीफ फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए/किए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): खरीफ 2025-26 के लिए बुवाई कार्य अभी भी जारी है और कृषि वर्ष 2025-26 (जुलाई-जून) में सभी प्रमुख खरीफ फसलों के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान खरीफ फसलों के अंतर्गत बोए गए कुल क्षेत्रफल में वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत वृद्धि/कमी और फसल-वार फसल उत्पादन में प्रतिशत लाभ/हानि का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ): सरकार कम/अधिक वर्षा सिंचित क्षेत्र के किसानों को सहायता प्रदान करने तथा उनकी संभावित फसल हानि को कम करने के लिए कई कदम उठाती है/उपाय करती है, जिनमें शामिल हैं:

सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का कार्यान्वयन कर रही है, जिसे वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया था, का उद्देश्य किसानों को पूर्व-बुवाई से लेकर फसलोंपरांत तक फसलों के लिए सभी अपरिहार्य प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित करना और पर्याप्त दावा राशि उपलब्ध कराने हेतु एक सरल और किफायती फसल बीमा उत्पाद प्रदान करना है। यह योजना मांग आधारित है और सभी किसानों के लिए उपलब्ध है।

इसके अलावा, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें सूखे सहित अधिसूचित आपदाओं के परिणामस्वरूप, प्रभावित लोगों को पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। हालांकि, गंभीर प्रकृतिक आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन भी शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत उपलब्ध करवाई जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है, न कि मुआवज़े के रूप में।

वर्तमान वर्ष में सूखे के लिए एनडीआरएफ से वित्तीय सहायता की मांग करते हुए किसी भी राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ङ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) सभी 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) अर्थात जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना है। एनएफएसएनएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण तकनीकियों, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों, नई जारी किस्मों/हाइब्रिडों के प्रमाणित सीड उत्पादन और वितरण, समेकित पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों, फसल मौसम के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की क्षमता निर्माण आदि पर प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं।

अनुबंध

दिनांक 12.08.2025 को उत्तरार्थ राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3694 के भाग (क) और (ख) के जबाव में संदर्भित अनुबंध

खरीफ सीजन में प्रमुख कृषि फसलों के कुल क्षेत्रफल में वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत वृद्धि/कमी

स्रोत : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

फसल	क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)				क्षेत्र वर्ष दर वर्ष % परिवर्तन		
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25
चावल	410.38	404.03	407.34	434.13	-1.55	0.82	6.58
मक्का	77.85	80.53	83.29	84.30	3.44	3.43	1.21
तुहर	49.00	40.68	41.31	43.28	-16.98	1.55	4.77
उड़द	36.25	30.98	26.81	21.01	-14.54	-13.46	-21.63
मूंग	38.43	34.86	31.74	33.91	-9.29	-8.95	6.84
मूंगफली	49.13	42.63	40.44	49.95	-13.23	-5.14	23.52
सोयाबीन	121.47	130.84	132.55	129.57	7.71	1.31	-2.25
गन्ना	51.75	58.85	57.40	53.58	13.72	-2.46	-6.66
कपास	123.72	129.27	126.88	112.30	4.49	-1.85	-11.49

नोट: वर्ष 2024-25 के आंकड़े तीसरे अग्रिम अनुमान पर आधारित हैं।

खरीफ सीजन में प्रमुख कृषि फसलों के कुल उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत वृद्धि/कमी

स्रोत : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

फसल	उत्पादन (लाख टन)				उत्पादन वर्ष दर वर्ष % परिवर्तन		
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25
चावल	1110.01	1105.12	1132.59	1218.54	-0.44	2.49	7.59
मक्का	226.81	236.74	222.45	248.43	4.38	-6.04	11.68
तुहर	42.20	33.12	34.17	35.61	-21.52	3.17	4.21
उड़द	18.65	17.68	16.04	13.02	-5.20	-9.28	-18.83
मूंग	14.80	17.18	11.54	17.47	16.08	-32.83	51.39
मूंगफली	84.34	85.62	86.60	103.68	1.52	1.14	19.72
सोयाबीन	129.87	149.85	130.62	151.80	15.38	-12.83	16.21
गन्ना	4394.25	4905.33	4531.58	4501.16	11.63	-7.62	-0.67
कपास	311.18	336.60	325.22	306.92	8.17	-3.38	-5.63

नोट: 1) वर्ष 2024-25 के आंकड़े तीसरे अग्रिम अनुमान पर आधारित हैं।

2) कपास उत्पादन लाख गांठों में, 1 गांठ = 170 किलोग्राम

*****